न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–85/2009 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर सब तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.....वादी/ अपीलांट

बनाम

1. देवकरण पुत्र श्री भौरया जाति मीणा,
2. बोदन पुत्र श्री भौरया जाति मीणा – मृतक
   2/1. दारासिंह पुत्र स्व0 बोदन,
   2/2. श्रवण पुत्र स्व0 बोदन जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर सब तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
3. प्रभाती पुत्र श्री नानगा जाति मीना,
4. लिक्षमन पुत्र श्री नानगा जाति मीना,
5. बनवारी पुत्र श्री नानगा जाति मीणा – मृतक
   5/1. परसादी पुत्र श्री बनवारी जाति मीना निवासी पूनखर सब तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
6. मौजी पुत्र देवकरण जाति मीणा,
7. रामखिलाड़ी पुत्र श्री बंशी जाति मीणा,
8. रामनारायण पुत्र श्री सम्पत जाति मीणा,
9. गुट्या पुत्र श्री बिशन्या जाति मीणा,
10. कैलाश पुत्र श्री हरला जाति मीणा,
11. रमजू पुत्र श्री हरला जाति मीणा,
12. पून्या पुत्र श्री हरिनारायण जाति मीणा,
13. लीला पुत्र श्री जौहरीलाल मीणा,
14. लालजी पुत्र श्री गोकुल जाति मीणा,
15. सोहनपाल पुत्र श्री रामधन जाति मीणा,
16. गोपाल पुत्र श्री सोहनपाल जाति मीणा,

31.12.18

17. मांग्या पुत्र श्री सम्पत जाति मीणा,
18. गिल्लू पुत्र श्री सम्पत जाति मीणा,
19. श्रवण पुत्र श्री बोदन जाति मीणा,
20. धोलिया पुत्र बिशनिया जाति मीणा,
21. सुखराम पुत्र श्री बिशनिया जाति मीणा,
22. इन्दू पुत्री बिशनिया जाति मीणा निवासीयान ग्राम पूनखर तहसील व जिला अलवर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर ।
24. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
25. सरपंच ग्राम पंचायत पूनखर ।

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश प्रसाद यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गोपीचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 3, 4, 5, 6 ल0 10 व 15 ल0 18
3. रेस्पो0 सं0 2 व 11 ल0 14, 19 ल0 25 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
4. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 सं0 23, 24

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.12.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 269 मिन रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा हाल ख0 नं0 804/0.30, 805/0.02, 806/0.23, 807/0.46, 808/0.38, 809/0.58, 810/0.65, 811/0.10, 812/0.10 वाके ग्राम पूनखर तहसील अलवर में से 3 बीघा रकबा जिसे हाल ख0 नं0 808/0.38, 809/0.58 बने हैं जो आराजी दावे में विवादित है । विवादित आराजी पर वादी का अर्से दराज से यानि करीब 30–35 साल से बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो आराजी सभी खातेदारी की आराजी के बीच में है । उक्त साबिक ख0 नं0 269 का पहले क्षेत्रफल 11 बीघा 3 बिस्वा का था और वादी का पुराना कब्जा काश्त मानकर इसमें से 3 बीघा रकबा पहले वादी को एस. डी.ओ. द्वारा नियमन कर पट्टा जारी कर दिया था व एक बीघा का पट्टा सोन्या पुत्र भौरया को दिया गया और शेष 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा रकबा पर 30–35 अब वादी का कब्जा काश्त है । खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2038 से आज तक वादी के नाम का इन्द्राज चला आ रहा है और विवादित आराजी पर वादी का एडवर्श पजेशन के आधार से हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं । पूर्व में भी साबिक ख0 नं0 269 में से 3 बीघा भूमि का नियमन वादी को उसके पुराने कब्जे के आधार पर विनियमन किया गया था । प्रतिवादीगण सं0 1

31.12.18

ल0 19 का विवादित आराजी से ना कोई संबंध है और ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है लेकिन उन्होंने नाजायज गिरोह बना रखा है और जबरन लठ के बल पर विवादित आराजी पर मजाहमत करते हैं एवं जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं । यदि प्रतिवादी सं0 1 ल0 19 ने जबरन अपना कब्जा कर लिया और प्रतिवादी सं0 21–22 ने यदि इस आराजी को दीगर लोगों को आवंटित कर दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । अतः दावा वादी विवादित आराजी पर एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार एवं कागजात माल में से सिवायचक का इन्द्राज कलमजन कराकर उसके बजाय वादी अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज कराने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 03.03.2009 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 03.03.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी के नियमन प्रस्ताव वादी/अपीलांट के पक्ष में तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को भेजे थे । तहत न्यायालय ने अपने इस वाद के निर्णय में तनकीयात को विवेचन किये बिना तथा वादी/अपीलांट की साक्ष्य व रेकार्ड का विवेचन किये बिना ही दावा वादी गलत खारिज किया है जबकि वादी ने साक्ष्य में सम्वत् 2038 से लगातार 2053 तक खसरा परिवर्तनशील पेश की है तथा पैनल्टी की रसीदें भी पेश की है । इसके साथ ही पटवारी की दैनिक डायरी भी पेश की थी । नायब तहसीलदार मालाखेड़ा की नियमन सिफारिश दि0 15.03.1991 का आदेश पेश किया । विवादित आराजी के नम्बर बदलने पर उसकी जमाबन्दी पेश की है । इस आराजी में से आवंटन भी हुआ है । विवादित आराजी हाल रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिसमें हाल ख0 नं0 808 व 809 पर अपीलांट का कब्जा है । तहत न्यायालय के आदेश पर पहली आपत्ति की इश्यू एवं साक्ष्य नहीं है जबकि समय पर पेश की है । सम्वत् 2059 की नयी जमाबन्दी तहत न्यायालय में पेश की है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि नियम यह है कि जब तक दावे में इश्यू नहीं होगें, उसके अनुसार निर्णय नहीं होगा तो वह निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कराया और कहा कि इसमें कोई तनकीयात निर्णय में नहीं बनायी गयी है तथा न ही कोई जिरह या एक्जीविट कराये हैं । इसके साथ ही अपीलांट के रेकार्ड का अवलोकन तहत न्यायालय ने नहीं किया तथा न ही अपीलांट की साक्ष्य को पढ़ा । तहत न्यायालय ने दावा गलत खारिज किया है जबकि अपीलांट ने रेकार्ड व साक्ष्य से दावा सिद्ध किया है । विवादित आराजी पर अपीलांट का लम्बे समय से कब्जा

31.12.18

है तथा नायब तहसीलदार की सिफारिश सिद्ध करती है कि अपीलांट का पुराना कब्जा है तथा आज भी कब्जा है ।

तहत न्यायालय को विवादित आराजी ख0 नं0 808 व 809 पर वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त के आधार पर डिक्री पारित करनी चाहिए या ऐसा आदेश पारित करना चाहिए कि विवादित आराजी का अपीलांट/वादी का नियमन किया जा सकें या आवंटन किया जा सकें ।

आज भी अपीलांट विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में हैं । नियमन की सिफारिश की हुई है । ऐसी स्थिति में वादी को विवादित आराजी से अब बेदखल नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 सभी वादी/अपीलांट को बेदखल नहीं कर सकते हैं ।

बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी न तो चारागाह है और न ही पशुओं के लिए काम आती है । यह खातेदारी के खेतों के मध्य में है तथा वादी/अपीलांट ने इस आराजी को उबड़–खाबड़ से सही करके, गड्डों को भरकर खेतीयुक्त बनाया है तथा लगभग 30–35 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त है । यह भी कहा कि इसी आराजी से पहले जमीन का नियमन आवंटन हुआ है । आराजी सिवायचक बारानी है जिसका रेकार्ड पेश है । कब्जे के संबंध में खसरा परिवर्तनशील पेश है । अतः नियमन व आवंटन की कार्यवाही वादी के पक्ष में की जावें । तब तक वादी/अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जावें ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.सी. 1999 पेज 341 व आर.आर.डी. 2005 पेज 253 प्रस्तुत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में कहा कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है । नायब तहसीलदार मालाखेड़ा ने विवादित आराजी पर पुराना कब्जा काश्त मानते हुए वादी/अपीलांट के हक में नियमन की गलत सिफारिश की है । अपीलांट का कोई एडवर्श पजेशन नहीं है न ही एडवर्श पजेशन के आधार पर सिवायचक व चारागाह भूमि पर वादी / अपीलांट को कोई खातेदारी हकूक पैदा होते हैं । अपीलांट विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है । सार्वजनिक हित की सरकारी जमीन का आवंटन किया जाना कानूनन प्रावधान नहीं है और ऐसी सार्वजनिक हित की आराजी पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती है । अपीलांट विवादित आराजी का न तो को–टिनेन्ट, सब टिनेन्ट इन खुदकाश्त और ना ही लैण्ड होल्डर की श्रेणी में आता है । इसलिए तहत न्यायालय ने निर्णय पूर्ण विवेचन के आधार पर पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होकर अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2009 का अवलोकन किया । प्रस्तुत

31.12.18

कानूनी नजीर आर0.आर.सी. 1999 पेज 341 का ससम्मान अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया ।

अपीलांट के वाद में मुख्य कथन यह रहा है कि विवादित आराजी सिवायचक बारानी है तथा साबिक ख0नं0 269 मिन से बने हाल ख0 नं0 808 व 809 का विवाद है । साबिक ख0 नं0 269 मिन कुल रकबा 11.03 बीघा में से पहले 4 बीघा आराजी का कब्जे काश्त के आधार पर नियमन हुआ है तथा खातेदारी प्राप्त हुई है जिसका रेकार्ड पेश किया है । इस आराजी के हाल ख0 नं0 804 ल0 812 में से ख0 नं0 808 व 809 रकबा क्रमशः 38 व 58 ऐयर पर वादी का कब्जा काश्त 30–35 साल से है । अतः या तो वादी को खातेदारी प्रदान की जावें या तहसीलदार द्धारा वादी के पक्ष में नियमन की सिफारिश पर नियमन किया जावें या आवंटन किया जावें । तहत न्यायालय ने तनकीवाईज निर्णय नहीं किया और वादी की साक्ष्य व कब्जे की रिपोर्ट का विवेचन नहीं किया तथा बहस में ये भी कहा कि गलत रूप से इस भूमि को चारागाह माना गया जबकि यह आराजी सिवायचक बारानी गैर मुमकिन खड्डा के रूप में अंकित है । काबिल काश्त होने से पहले भी इस आराजी से जमीन का नियमन और आवंटन हुआ है । वादी ने खातेदारी प्राप्त करने या नियमन की रीलीफ चाही है । प्रतिवादीगण व पैरोकार सरकार ने विवादित आराजी पशुओं की चरायी के लिए माना है ।

उक्त सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 269 रकबा 11.03 बीघा में से पहले दो खातेदारों को 3+1=4 बीघा जमीन का कब्जे काश्त के आधार पर नियमन/आवंटन हुआ है तथा खातेदारी प्राप्त हुई है । उक्त साबिक ख0 नं0 269 मिन से हाल ख0 नं0 808 व 809 पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त 30–35 वर्षो से है । वादी ने तहत न्यायालय में खसरा परिवर्तनशील की नकलें, रसीदों की प्रति पेश की है तथा तहसीलदार मालाखेड़ा की नियमन की सिफारिश की नकलें भी पेश की है । इन सभी से यह सिद्ध है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का लम्बे अरसे से कब्जा काश्त है ।

तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीयात का हवाला देते हुए तथा साक्ष्य व कब्जे संबंधी रेकार्ड का विवेचन किये बिना विवादित आराजी को पशुओं की चरायी के लिए चारागाह मानकर निर्णय पारित किया है जो रेकार्ड व मौके के विपरीत है । अतः तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.3.2009 काबिल खारिजी के है । कानूनी नजीर आर.आर.सी. 1999 पेज 341 यहां चस्पा होती है ।

जहां तक वादी/अपीलांट को विवादित आराजी की खातेदारी घोषित करने का प्रश्न है । एडवर्श पजेशन के आधार पर न्यायालय से खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है । परन्तु चूंकि विवादित आराजी सिवायचक है तथा इसमें से पहले भी नियमन/आवंटन हुआ है और वादी का पिछले 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त रेकार्ड व साक्ष्य से साबित है । अतः वह उक्त आराजी ख0 नं0 808 व 809 को अपने पक्ष में नियमन/आवंटन कराने का अधिकार रखता है बशर्ते इस संबंध में अपीलांट शर्तो की पूर्ति करता है । इस आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है ।

31.12.18

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 03.03.2009 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी या सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विवादित आराजी के आवंटन और नियमन के संबंध में अपीलांट/वादी की पात्रता की शर्तो के आधार पर वरियता से आवंटन/नियमन हेतु विचार करें । विवादित आराजी पर लम्बे समय से कब्जा काश्त अपीलांट का रहा है । अतः विवादित आराजी के साबिक रेकार्ड के आधार पर साबिक किस्म व हाल किस्म भूमि का अवलोकन करते हुए अपीलांट को विवादित आराजी के आवंटन व नियमन की कार्यवाही नियमानुसार करें । रेस्पो0 सं0 1 ल0 22 को वादी/अपीलांट को जबरदस्ती विवादित आराजी से बेदखल करने का अधिकार नहीं है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी अलवर एवं सहायक कलक्टर अलवर तथा तहसीलदार मालाखेड़ा को अलग से प्रेषित की जावें तथा मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को प्रेषित की जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर